तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी विविध प्रकरण संख्या 112/2020 महेन्द्र कुमार वगैरह बनाम कृष्णा बाई वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.04.2026	**अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित।** इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिए जाने दिनांकित 17.04.2026 का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर गत पेशी पर बहस सुनी गई थी। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से पूर्व प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र पर अप्रार्थीगण द्वारा जिरह नहीं हो पाई थी तत्पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एकतरफा कार्यवाही को सेट साइड किए जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात नई तनकी कायम की गई जिस पर प्रार्थी ने नई तनकी के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके साथ मृतका कमला बाई ने मृत्यु से पूर्व वसीयत करने के सम्बन्ध में वार्ता की गई थी जिसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग को पेन ड्राईव में सेव किया गया है तथा वीडियो क्लिप के फोटो भी निकलवा कर पेश किए हैं एवं अप्रार्थी द्वारा एक एफ.आई.आर. संख्या 57/2020 दर्ज करवाई गई थी जिसकी प्रति शपथपत्र के साथ पेश की है। उक्त दस्तावेज नई तनकी के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं जो कि पूर्व में आवश्यक नहीं होने से प्रस्तुत नहीं किए जा सके किन्तु नई तनकी की वजह से उक्त दस्तावेजात का रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मृतका कमलाबाई के वसीयत तैयार करने से पूर्व के कथनों की वीडियो की क्लिप एवं वीडियो के फोटो व एफ.आई.आर. की प्रति को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का कथन मृतका कमला बाई ने मृत्यु से पूर्व वसीयत के सम्बन्ध में वार्ता की वीडियो रिकॉर्डिंग करना पेन ड्राईव में सेव करना, फोटो निकलवाना स्वीकार नहीं है यह बनावटी है एवं एफ.आई.आर. की प्रति पेश करना जो प्रकरण के तथ्यों से सम्बन्धित नहीं है। प्रकरण के निस्तारण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उनका यह तर्क है कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजात किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नहीं हैं, इन दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण नहीं होना है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस संबंध में आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. इस प्रकार है कि:- जिला न्यायाधीश कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी विविध प्रकरण संख्या 112/2020 महेन्द्र कुमार वगैरह बनाम कृष्णा बाई वगैरह	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए

14. उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है- (1) जहां वादी किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में की दस्तावेज पर निर्भर करता है वहां वह उन दस्तावेजों को एक सूची में प्रविष्ट करेगा और उसके द्वारा वादपत्र उपस्थित किए जाने के समय उसे न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए प्रदत्त करेगा।

(2) जहां ऐसा कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है वहां जब सम्भव हो वह यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे या शक्ति में है।

(3) ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा न्यायालय में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है या वादपत्र में जोड़ी जाने वाली या उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट किया जाना है किन्तु तदनुसार प्रस्तुत या प्रविष्ट नहीं किया जाता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(4) इस नियम की कोई बात वादी के साक्षी की प्रतिपरीक्षा के लिए प्रस्तुत या किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए दस्तावेज को लागू नहीं होगी।

पत्रावली पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में मृतका श्रीमती कमलाबाई द्वारा अपने जीवनकाल में प्रार्थीगण के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 17.09.2018 आलेखित किए जाने के आधार पर स्व. कमलाबाई के अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 के यहां जमाशुदा राशियों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र का अनुतोष चाहा गया है। उक्त तथाकथित वसीयत आलेखित करने से पूर्व वसीयत के सम्बन्ध में मृतका कमलाबाई से हुई वार्ता की वीडियो रिकॉर्डिंग को पेन ड्राईव में सेव कर प्रार्थीगण द्वारा उक्त पेन ड्राईव को तथा उसके फोटो को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया गया है। मेरे विनम्र मत में जिस वसीयत के आधार पर प्रार्थीगण ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अनुतोष चाहा गया है उसी वसीयत के सम्बन्ध में वार्ता की रिकॉर्डिंग उक्त पेन ड्राईव में सेव होना और उसी से सम्बन्धित फोटो होने से ये दस्तावेज प्रकरण के निस्तारण हेतु सुसंगत व आवश्यक दस्तावेज हैं।

जहां तक अप्रार्थी द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. संख्या 57/2020 की प्रति का सम्बन्ध है, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 3 लक्ष्मी पत्नी श्री महेन्द्र गोचर द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध पुलिस थाना महावीर नगर में दर्ज कराई गई है। प्रार्थीगण द्वारा अपने जवाबुल जवाब काउन्टर क्लेम में

जिला न्यायाधीश
कोटा (राज.)

अप्रार्थी संख्या 1 –

र्थना पत्र, एकपक्षी

ाय का पेश

ालय में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी विविध प्रकरण संख्या 112/2020 महेन्द्र कुमार वगैरह बनाम कृष्णा बाई वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थीगण के काउन्टर क्लेम में किए गए तथ्यों का खण्डन करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा दर्ज कराई गई उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में अप्रार्थी संख्या 3 लक्ष्मी द्वारा दर्ज कराई गई उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 57/2020 इस प्रकरण के निस्तारण हेतु सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज है।

प्रकरण में इस स्टेज पर मात्र दस्तावेजात की सुसंगतता देखी जानी है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात प्रकरण से सुसंगत दस्तावेजात हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राईव एवं फोटो तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 57/2020 पुलिस थाना महावीर नगर प्रकरण के निस्तारण हेतु सुसंगत व अवश्यक दस्तावेज होने से इनको रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिए जाने दिनांकित 17.04.2026 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मृतका कमलाबाई के वसीयत तैयार करने से पूर्व के कथनों की वीडियो की क्लिप की पेन ड्राईव एवं वीडियो के फोटो तथा एफ.आई.आर. संख्या 57/2020 पुलिस थाना महावीर नगर की प्रति को रिकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थीगण दिनांक 05.05.26 को पेश हो।

जिला न्यायाधीश
कोटा (राज.)